Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 30-11-2006
Participants : Dikshit Shri Sandeep,Handique Shri Bijoy Krishna

an>

Title: Arbitary sealing drive being undertaken in East Delhi.

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर विाय को सदन में उठाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते आपने दिल्ली में सीलिंग विाय पर विस्तार से चर्चा करने का समय दिया था। कल मेरे संसदीय क्षेत्र में बहुत अजीबोगरीब घटना हुई, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। सीलिंग विाय पर मंत्री जी ने उत्तर देते हुए कहा था कि अब सीलिंग नहीं होगी, हमें सीलिंग से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया था कि केवल बिग फिश पर ही सीलिंग की कार्यवाही की जाएगी। उसके तहत बड़े दुकानदार, ज्वैलरी शॉप्स आ गए। लेकिन कल एक अनधिकृत कालोनी में, जहां ...(कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया। रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह शब्द हटा दिया जाए।

श्री सन्दीप दीक्षित : महोदय, मेरा मतलब गरीब लोगों से है। मैं गरीब लोगों की, छोटे दुकानदारों की बात कह रहा हूं। मोनिटरिंग कमेटी का एक सदस्य थाने में जाकर तीन घंटे तक बैठा और उसने बिना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के वहां जाकर पुलिस को फोर्स किया, एमसीडी के डीसी भी उनसे कहते रहे कि कौन से आर्डर के तहत किसी के खिलाफ कार्यवाही करें। उस अनधिकृत कालोनी में दस-बारह दुकानें खुली हुई थीं, उन्हें बंद करवाया गया। करीब डेढ़ सौ दुकान वालों ने ताले लगाकर अपने एफिडेविट कोर्ट में दे रखे थे, उनको सामने खड़े होकर बंद करवाया गया। पिछले तीन-चार महीने से बार-बार यह बात सामने आ रही है, क्योंकि मोनिटरिंग कमेटी के सदस्यों के घर सामने ये कालोनियां हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या केवल व्यक्तिगत अहंकार के कारण मोनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इस तरह से दिल्ली में चलाएगी? क्या कुछ कालोनियां इन लोगों के फ्लैट्स के सामने हैं, सिर्फ इस कारण से मोनिटरिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन इस तरह से करेगी। हम बिलकुल बेबस हो कर खड़े रहे। जिन दुकानों पर किसी तरह से सीलिंग की गाज नहीं गिरनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिन दुकानों को अपना संरक्षण दिया है, वे दुकानें भी कल बंद की गईं। मैं नहीं समझ सका हूं कि कौन इसका जबाव देगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा सांसद बनने का कोई मतलब नहीं है, अगर हम इन लोगों के हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं, जिनके हितों का संरक्षण करने में हम समर्थ नहीं हैं, जिन्हें कोर्ट ने भी संरक्षण दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा कि मानिटरिंग कमेटी जैसे मैकेनिज्म बनते जा रहे हैं, इनका क्या औचित्य है, किस रूप में ये बनाए जा रहे हैं? अगर यह रूल को इम्प्लिमेंट करने की बात थी, तो मैं मान सकता था, लेकिन आज अपने व्यक्तिगत द्वेा के कारण यह जिसकी तरफ उंगली कर देते हैं, वह कानून के सामने गलत साबित हो जाता है। वह गुहार करता रह जाता है, अधिकारी भी कहते हैं कि वह आदमी सही है, लेकिन मोनिटरिंग कमेटी अपना नजरिया रखती है और रूल पलट दिया जाता है और उस वक्त उस बेचारे की दुकान सील कर दी जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

MR. SPEAKER: I hope the Government will look into this matter. This matter should be looked into by the Government.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI B.K. HANDIQUE): I will convey this to the hon. Minister concerned.

श्री सन्दीप दीक्षित : महोदय, इतना रिलीफ देने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है।